उत्तर प्रदेश शासन,
ग्रामीण अभियंत्रण अनुभाग-1
संख्या-109/2015/3931/92-1-2015-58(अधि0)/2015,
लखनऊ: दिनांक: 09 सितम्बर, 2015

**कार्यालय-ज्ञाप**

पदोन्नति में आरक्षण एवं परिणामी ज्येष्ठता का लाभ के सम्बन्ध में सिविल अपील सं0-2608/2011 यू0पी0 पावर कारपोरेशन लि0 बनाम राजेश कुमार व अन्य में मा0 सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित निर्णय/आदेश दिनांक 27-4-2012 तथा इस सम्बन्ध में कार्मिक विभाग द्वारा प्रसारित शासनादेश सं0-8/4/1/2002टीसी-1-का-2/2015, दिनांक 21-8-2015 के अनुक्रम में उ0प्र0 लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों एवं अन्य पिछडे वर्गों के लिये आरक्षण) अधिनियम-1994 की धारा-3 (7) के प्रावधान के अनुसार पदोन्नति में आरक्षण तथा परिणामी ज्येष्ठता का लाभ प्राप्त दिनांक 28-4-2012 के पूर्व एवं दिनांक 15-11-97 के बाद प्रोन्नत ग्रामीण अभियंत्रण विभाग के अधोतालिका के स्तम्भ-2 में उल्लिखित निम्नलिखित कार्मिकों को सहायक अभियंता (सिविल) संवर्ग की कार्यालय-ज्ञाप संख्या-8818/62-3-2001-134डब्लूपी/84टीसी, दिनांक 14-12-2001 एवं कार्यालय-ज्ञाप संख्या-1848/92-2012-134डब्लूपी/84टीसी, दिनांक 15-6-2012 द्वारा प्रख्यापित ज्येष्ठता सूची में उनसे कनिष्ठ कर्मी जिस स्तर पर कार्यरत हैं, के स्तर तक उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-4 में अंकित पद पर पदावनत किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :-

| क्र0सं0 | अभियंता का नाम (सर्वश्री) | वर्तमान पदनाम | पदावनत पद का नाम |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | उमा शंकर | निदेशक एवं मुख्य अभियंता | अधीक्षण अभियंता |
| 2- | ब्रजेन्द्र कुमार | अधीक्षण अभियंता | अधिशासी अभियंता |
| 3- | ईशम सिंह | अधिशासी अभियंता | सहायक अभियंता |
| 4 | रविकान्त वर्मा | अधिशासी अभियंता | सहायक अभियंता |
| 5- | जवाहर सिंह | अधिशासी अभियंता | सहायक अभियंता |
| 6- | राजेन्द्र सिंह | अधिशासी अभियंता | सहायक अभियंता |

2- उपर्युक्त पदावनत कार्मिकों को, कार्मिक विभाग के शासनादेश 21-8-2015 के प्रस्तर-6 के उपप्रस्तर-(ख) के अनुसार पदावनत पद का ही वेतनमान अनुमन्य होगा। ज्येष्ठता सूची दिनांक 14-12-2001 एवं दिनांक 15-6-2012 के अनुसार पदावनत किये गये आरक्षित श्रेणी के कार्मिक से आसन्न वरिष्ठ कर्मी को अनुमन्य मूल वेतन के बराबर पदावनत कर्मी का मूल वेतन निर्धारित किया जायेगा। पदावनति के ठीक पूर्व के माह में पदावनत कर्मी को प्राप्त हो रहीं परिलब्धियॉ (मूल वेतन, मंहगाई भत्ता तथा अन्य भत्ते आदि) में पदावनति के उपरान्त कोई वित्तीय हानि न हो, इसके लिये पदावनत किये गये कार्मिक की पदावनति के उपरान्त निर्धारित मूल वेतन के आधार पर प्राप्त होने वाली कुल परिलब्धियों तथा पदावनति के ठीक पूर्व के माह में प्राप्त होने वाली कुल परिलब्धियों में जो अंतर होगा, वह वैयक्तिक वेतन के रूप में पदावनत कार्मिक को अनुमन्य होगा। वैयक्तिक वेतन आगे के वर्षो में उस सीमा तक कम होता जायेगा, जिस सीमा तक पदावनत कर्मी के मूल वेतन में वार्षिक वेतन वृद्धि के कारण मूल वेतन तथा वार्षिक वेतन वृद्धि तथा अन्य भत्तों सहित आधारित सकल वेतन में वृद्धि हो रही

---

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

है। पदावनत कर्मी की पदावनति के ठीक पहले के माह में प्राप्त कुल मासिक परिलब्धियों तब तक फ्रीज रहेंगी जब तक कि पदावनत कर्मी से आसन्न वरिष्ठ कर्मी की परिलब्धियों इसके बराबर या इससे अधिक न हो जायें।

3- उपर्युक्त पदावनत कार्मिक पदावनत पद के अनुरूप ही समस्त सुविधाएँ प्राप्त करेंगे।

4- उपर्युक्त पदावनत कार्मिकों को प्राप्त हो रही परिलब्धियों (जिसमें वैयक्तिक वेतन शामिल होगा) के आधार पर वरिष्ठता क्रम में कोई लाभ प्राप्त नहीं होगा।

5- उपर्युक्त पदावनत कार्मिकों को पदावनति के पद पर कोई अतिरिक्त कार्यभार प्रदान नहीं किया जायेगा।

6- अनारक्षित वर्ग (जिन्हें पदोन्नति में आरक्षण की सुविधा अनुमन्य नहीं थी) के पदधारकों द्वारा इस आधार पर अतिरिक्त परिलब्धियों अथवा वैयक्तिक वेतन की माँग नहीं की जायेगी कि वे उपर्युक्त पदावनत कार्मिकों से ज्येष्ठता सूची दिनांक 14-12-2001 एवं दिनांक 15-6-2012 के अनुसार वरिष्ठ हैं।

डा0 प्रभात कुमार
प्रमुख सचिव।

**<u>संख्या-109 /2015/3931(1)/92-1-2015, तद्दिनांक।</u>**

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार, उ0प्र0, इलाहाबाद।
2- स्टाफ आफिसर, मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन।
3- प्रमुख सचिव, कार्मिक विभाग, उ0प्र0 शासन।
4- निजी सचिव, मा0 राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार), ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, उ0प्र0 शासन।
5- निदेशक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, उ0प्र0 इलाहाबाद को सरकारी गजट के आगामी अंक में प्रकाशनार्थ ।
6- निदेशक एवं मुख्य अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।
7- वित्त नियंत्रक, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।
8- मुख्य अभियंता (पूर्वी/पश्चिमी), ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।
9- संबंधित मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी/कोषाधिकारी।
10- संबंधित अभियंतागण।
11- ग्रामीण अभियंत्रण अनुभाग-2/गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

( शिशिर कुमार यादव )
विशेष सचिव

---

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in